

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 73 /2021


दिनांक 22.04.2021

श्रीमती सानिया हाशमी (RJ0649), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को दिनांक 26.04.2021 से 21.05.2021 तक 26 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.04.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती नीलम करवा (RJ0698), अति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को श्रीमती सानिया हाशमी (RJ0649) के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित /नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्रीमती नीलम करवा (RJ0698), जिनको वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40 % किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 20.04.2021

क्रमांक : स्था.बी.2(4)/17/2011/2639

दिनांक 22.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 2298 दिनांक 07.04.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सानिया हाशमी (RJ0649), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
5. श्रीमती नीलम करवा (RJ0698), अति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
6. अति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।



सहायक रजिस्ट्रार